U;k;ky; fMoh tuy dfe'uj] tk/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % Mk0 lfer 'kekZ] vkbZ-,-,l-

jkt o vihy l!";k #0$%&0&0

vihykUV'	बनाम	j: ikMU'l
बरकत खॉ पुत्र गाजी खॉ सिन्धी मुसलमान, निवासी– निम्बासर तहसील शिव, जिला बाडमेर।		तहसीलदार, शिव, जिला बाडमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक प.12 (3)(220) राज/2013/4751 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर ने ग्राम निम्बासर के ख0सं0 58 रकबा 8.01 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने एवं ख0सं0 104 रकबा 51.06 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि गौचर में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई

(if)kfr%**

1. श्री सलीम खॉ मेहर, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।

fu+kl;

f,ukd &$ v- r]&0&0

1. अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत यह राजस्व अपील जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा अपने आदेश प.12 (3)(220) राज/2013/4751 दिनांक 20.09.2019 के द्वारा जिला कलेक्टर, बाडमेर ने ग्राम निम्बासर के ख0सं0 58 रकबा 8.01 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने एवं ख0सं0 104 रकबा 51.06 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि गौचर में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई, के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत कर अपील को अन्दर म्याद शुमार करने हेतु निवेदन किया गया।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अभिभाषक के द्वारा की गई बहस को सुना गया। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मिमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया गया कि मौजा निम्बासर का गांव तहसील शिव के ख0सं0 58 रकबा 8.01 बीघा भूमि में से 2.00 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने एवं ख0सं0 104 रकबा 51.06 बीघा में से 2.00 बीघा भूमि गौचर में परिवर्तन करने की स्वीकृति दी गई है।

3. वर्तमान में उक्त खसरे के अन्य सहखातेदार शकूर खॉ वगैराह ने अपने मौके पर पारिवारिक बंटवाडे में आये हिस्से का कम मानकर विवाद किया तो उन्होंने पटवारी से नाप करवाया तब ज्ञात हुआ की उनके सहखातेदारी की कृषि भूमि ख0सं0 59 रकबा 120 बीघ 19 बिस्वा मेंसे 8 बीघा 1 बिस्वा पडौसी ख0सं0 58 गठित कर सेटलमेन्ट कर्मचारियों की सद्भाविक भूल से दर्ज कर दिया गया है। जबकि उक्त भाग वर्तमान में अपीलान्ट के बंट में आया हुआ है। उक्त खसरा भूमि वर्षो से अपीलान्ट के पूर्वज उसे अभिन्न अंग समझते हुए पीढियों से काबिज काश्त चले आ रहे है और उनको यह भी ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि को राजस्व कर्मचारियों ने बिना मौका देखे बाले बाले ग्राम पंचायत से मिलकर शमशान हेतु 02 भूमि आरक्षित करवा दी। तब उनके द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त सेटअपार्ट आदेश दिनांक 20.09.2019 की जानकारी हुई तब उनके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा ग्राम निम्बासर के ख0सं0 58 में से 02 बीघा भूमि शमशान हेतु सेटअपार्ट करने के जो आदेश जारी किये गये है वह अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को जो कि उक्त खसरान भूमि में खातेदारी अधिकार रखता है, को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलान्ट की पीढियों से कब्जे काश्त वाली भूमि को उक्त उद्देश्य हेतु आरक्षित करना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट पीढियों से ग्राम निम्बासर का मूल निवासी है तथा उनकी पुश्तैनी सामलाती खातेदारी कृषि खसरा

संख्या 59 रकबा 112 बीघा 18 बिस्वा किस्म बारानी चारम आई हुई है जो प्रस्तुत गिरदावरी की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। उक्त भूमि पर प्रतिवर्ष बारिश के समय वे लोग खेती करते है और उनके नाम से गिरदावरी चली आ रही है ऐसे में कब्जे काश्त की भूमि जो आवंटन के लिये पहली शर्त है कि वह भूमि मौक पर रिक्त होनी चाहिये। जबकि उक्त भूमि में उनके पूर्वजों के समय से उनकी खातेदारी रकबा 120 बीघा 19 बिस्वा चली आ रही है। तथा अपीलान्ट के दादा भोमे खॉ तथा उनके पश्चात अपीलान्ट के पिता व उनके भाईयों का 1/3 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आवासीय कच्ची/पक्की ढाणी बनी हुई है और उक्त भूमि के चारो और मुस्लिम आबादी बसी हुई है ऐसे में अन्य जाति के लिये उनका सार्वजनिक शमशान हेतु भूमि आरक्षित करना कतई उचित नहीं था। शमशान हेतु हिन्दू समाज के अलग–अलग जातियों हेतु ग्राम में पूर्व से ही अलग–अलग शमशान भूमि उपलब्ध है तो फिर अलग से और शमशान भूमि का आरक्षित किया जाना द्वेषतापूर्ण कार्यवाही है।

6. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त भूमि पर सेटलमेन्ट से पूर्व ही यानि जागीरी के समय से ही अपीलान्ट के पूर्वजों का निरन्तर कब्जा व काश्त चला आ रहा है और ख0सं0 59 रकबा 120 बीघा 19 बिस्वा का अभिन्न अंग मानते हुए चला आ रहा है। वक्त सेटलमेन्ट सद्भाविक भूल से 08 बीघा 1 बिस्वा का अलग खसरा संख्या 58 बीच में किसी वजह से अलग पड़ गया जबकि सम्पूर्ण भूमि एक ही चक में स्थित है। अपीलान्ट व अन्य काश्तकारों का परिवार वर्तमान में इतना बडा हो गया है कि प्रत्येक के हिस्से में लघु काश्तकार से भी कम भूमि आती है, ऐसे में वह भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा में आते है और अपीलाधीन आदेश की पालना की जाती है तो वह बेघर हो जायेगे और बेदखल कर दिया जायेगा। अतः अपीलान्ट अपील स्वीकार की जावे एवं श्रीमान जिला कलैक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2019 एवं आदेश की पालना में दर्ज किया गया नामा0 संख्या 450 व तरमीम बटा नम्बर 246/58 रकबा 02 बीघा को निरस्त किया जावें।

7. हमने अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया तथा अपील, अपीलाधीन आदेश एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि ग्राम पंचायत शिव ने मौजा निम्बासर के ख0सं0 58 रकबा 08.01 बीघा किस्म गैर मुमकीन धोरा (झाड झंझाड वाले वन चारागाह हेतु) भूमि में से रकबा 2.00 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित करने व प्रस्तावित गोचर भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु उक्त ग्राम के ही खसरा संख्या 104 रकबा 51.06 बीघा किस्म बारानी चा. में से रकबा 2.00 बीघा भूमि गोचर में परिवर्तन हेतु प्रस्ताव संख्या 08 दिनांक 21.05.2020 व 01 दिनांक 24.05.2019 को पारित कर तहसीलदार शिव के माध्यम से उपखण्ड अधिकारी, शिव को प्रेषित कर भूमि उपरोक्तानुसार आरक्षित करने की अनुशंषा की गई। जिस पर जिला कलेक्टर बाडमेर ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत 2.00 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आरक्षित (Set Apart) घोषित किये जाने तथा राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 7 के तहत 2.00 बीघा भूमि गौचर में परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

8. अपीलान्ट अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत कर रहे है परन्तु उक्त अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा संख्या 58 की भूमि में अपनी खातेदारी दर्ज होना या उनकी खातेदारी भूमि का उक्त आदेश से प्रभावित होने या बेदखल होने सम्बन्धी ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है जिससे ऐसा प्रतीत या ज्ञात होता हो कि अपीलाधीन आदेश से उनके हक–हिस्सा प्रभावित हो रहे हो और उनको व उनके परिवार को बेदखल किये जाने सम्बन्धी परेशानी हो रही हो। अपीलान्ट के द्वारा अपने कथनों के समर्थन में जो दस्तावेजात पेश किये गये है वो वर्तमान समय के राजस्व रेकर्ड में दर्ज अंकनों के पेश नहीं किये गये है, पुराने इन्द्राज यानि सम्वत 2062 से 2063 की जमाबन्दी, खसरा परितर्वनशील निर्धारण सम्वत 2050 वर्ष 1993–94 पेश किये गये है। अपीलान्ट ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 59 में 112 बीघा 18 बिस्वा में अवस्थित होना दर्शाया है जिसके लगते ही खसरा संख्या 58 की रकबा भूमि आई हुई है और उक्त भूमि जमाबन्दी अनुसार गैर मुमकीन धोरा की भूमि के रूप में दर्ज हो रखी है, उक्त गैर मुमकीन धोरा की

भूमि में से ही ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर ही सार्वजनिक शमशान हेतु 02.00 भूमि जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा नियमों के तहत सेट अपार्ट की गई है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अथवा अनियमितता कारित नहीं की गई है। जिला कलेक्टरर्स को ग्राम पंचायत अथवा राजकीय संस्थाओं की ओर से भूमि आवंटन/आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/आरक्षित करने हेतु राज्य सरकार की ओर से शक्तियॉ प्रदत्त की हुई है। ऐसे में हमारा विनम्र मत है कि विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वह विधि अनुसार जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.09.2019 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 25 अगस्त, 2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

.Mk0 lfer 'kekZ
fMoh tuy dfe0uj]
tks/kiqj